12/2/25 दोनो पक्षो के वकील उपस्थित।
वकील वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र वास्ते वाद पत्र विड्रोल करने बाबत पेश की गयी। जिसकी प्रति वकील प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन कीया तथा तथ्यों का विधी के परिप्रेक्ष्य में विवेचन कीया। स्पष्ट पाया कि वादी अपना वाद आगे जारी नहीं चाहते है ऐसी सूरत में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है तथा वकील प्रतिवादी द्वारा भी आपत्ति नहीं की गई है।
जिसका प्रार्थना-पत्र स्वीकार की जाकर वादीगणा के वाद पत्र के हको को सुरक्षित रखते हुए वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली मोहन कुमार रीडर दाखिल दफ्तर हो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
12/02/25

आज्ञानुसार